बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

।। अधिसूचना ।।

पटना–15, दिनांक : **15 जनवरी**, 2018

संख्या : 1/मु0–1018/2016–सा0प्र0–711/विभागीय अधिसूचना संख्या–1/सी0–1009/2015–सा0प्र0–8494 दिनांक–12.07.2017 द्वारा श्री अजय वी. नायक, भा0प्र0से0 (बी एचः 84), मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार–सह–प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को भा0प्र0से0 के विभिन्न स्तरों में प्रोन्नति हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका की कंडिका–11.1 के प्रावधान के तहत राज्य में कार्यरत उनसे ठीक कनीय पदाधिकारी–श्री शशि शेखर शर्मा, भा0प्र0से0 (बी एच : 85) को शीर्ष वेतनमान (` 80,000/–अपुनरीक्षित/पुनरीक्षित वेतनमान–स्तर 17– ` 2,25,000/–) में प्रदत्त प्रोन्नति की तिथि (01.09.2016) से उक्त ग्रेड (शीर्ष वेतनमान) में प्रोन्नति प्रदान की गयी है तथा प्रभार ग्रहण की तिथि से उनके पदस्थापन काल तक के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार–सह–प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना के पद को शीर्ष वेतनमान में उत्क्रमित किया गया है।

2. शीर्ष वेतनमान में ठीक कनीय को दी गयी प्रोन्नति की तिथि से भूतलक्षी प्रभाव की प्रोन्नति प्रदान किये जाने हेतु श्री नायक द्वारा माननीय कैट, पटना पीठ , पटना के समक्ष ओ0ए0 संख्या–050/00797/2016 दायर की गयी थी। उक्त वाद में माननीय कैट द्वारा दिनांक–17.07.2017 को आदेश पारित किया गया। पारित आदेश का प्रभावी अंश निम्नवत् हैः–

"Mere issuance of charge memo on 4.11.2016, which is subsequent to the recommendation of the Screening Committee held on 5.1.2016 in which he was found fit for promotion, and which is also subsequent to 22.8.2016 when the file for promoting 1984 batch IAS officers was initiated, cannot stall the promotional avenue of the applicant. On an erroneous consideration by the respondents, the applicant has been denied promotion at the Apex Scale. The ground on which the respondents have denied promotion of the applicant at the Apex Scale is not sustainable. The respondents have not shown justifiable grounds for depriving an officer from his legitimate right. Hence ordered. "

"The OA is allowed. The respondents are directed to give promotion to the applicant in the Apex Scale of Indian Administrative Service, as per recommendations of the Screening Committee held on 5.1.2016 retrospectively with effect from the date his immediate juniors have been promoted and to pay his arrears of salary and allowance from the date his juniors were granted. No order as to costs."

3. **प्रासंगिक न्यायादेश दिनांक–17.07.2017 एवं इस संदर्भ में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त मंतव्य के आलोक में श्री नायक द्वारा धारित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी–सह–प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना के पद को दिनांक 01.09.2016 के भूतलक्षी प्रभाव से शीर्ष वेतनमान में उत्क्रमित किया जाता है।**

4. इस संबंध में पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या–1/सी0–1009/2015–सा0प्र0 –8494 दिनांक–12.07.2017 की अन्य स्थितियाँ अपरिवर्तित रहेंगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

15.01.18

(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : : **1/मु0–1018/2016–सा0 प्र0–711/**पटना–15, दिनांक : **15** जनवरी, 2018

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नयी दिल्ली/संस्थापन पदाधिकारी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/महालेखाकार (ले. एवं ह.) बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, पटना/संबंधित विभाग/संबंधित पदाधिकारी/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा–1 एवं प्रशाखा–6) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

2. प्रोन्नत पदाधिकारी एफ आर 22(1)(ए)(2) के निम्नांकित प्रावधान के तहत आवश्यकतानुसार विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं:–

"Under FR 22(1)(a)(2) also there is a provision that on appointment on regular basis to such new post, other than to an ex-cadre post on deputation, the Government servant shall have the option, to be exercised within one month from the date of such appointment, for fixation of his pay in the new post with effect from the date of increment in the old post."

15.01.18

सरकार के अवर सचिव